जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

हिण्डौन सिटी
Rashtradoot

फोनः- 230200, 230400 फैक्सः- 07469-230600 वर्षः 16 संख्याः 190 प्रभात हिण्डौन सिटी, शनिवार 11 मई, 2024 पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

वैज्ञानिकों को जाएंट रिवर डॉल्फिन की खोपड़ी का एक जीवाश्म मिला है। समझा जाता है कि डॉल्फिन की यह प्रजाति पहले समुद्र में रहती थी और 16 मिलियन वर्ष पूर्व पेरु की एमेज़ॉन नदी में रहने लगी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि, विलुप्त प्रजाति की ये डॉल्फिन साढ़े तीन मीटर लम्बी रही होंगी, जिसे विश्व की सबसे लम्बी रिवर डॉल्फिन कहा जा सकता है। इस नई प्रजाति, पेबानिस्टा याकूरुना की खोज ने विश्व की बची खुची रिवर डॉल्फिन्स के खतरे को उजागर कर दिया है। शोध के अनुसार, आगामी 20-40 वर्षों में इन सभी को ऐसे ही खतरे का सामना करना पड़ेगा। साईन्स एडवांसेज़ में छपे इस शोध में मुख्य शोध लेखक आल्डो बेनीते पालमीनो ने कहा कि, यह नई प्रजाति डॉल्फिन की प्लाटानिस्टोइडिआ फैमिली से संबंधित है, जो 24 मिलियन और 16 मिलियन वर्ष पूर्व महासागरों में मिलती थीं। इस समय जो रिवर डॉल्फिन्स हैं, वे इन्हीं समुद्री डॉल्फिन्स की वंशज मानी जाती हैं। माना जाता है कि, इन्होंने नए भोजन स्रोत की तलाश में समुद्र को छोड़कर मीठे पानी वाली नदियों को अपना आवास बनाया था। वैज्ञानिक बेनीते पालमीनो ने वर्ष 2018 में पेरु में इस जीवाश्म की खोज की थी, तब वे स्नातक छात्र थे और अब युनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख में रिसर्च कर रहे हैं। उस समय अपने साथी के साथ घूमते समय उन्हें सबसे पहले जबड़े का एक टुकड़ा मिला था। वे पहचान गए कि यह जीवाश्म डॉल्फिन का था, लेकिन यह एमेज़ॉन में मिलने वाली पिंक रिवर डॉल्फिन का नहीं था। क्योंकि यह किसी बड़े आकार की डॉल्फिन का लग रहा था, जिसके सबसे करीबी रिश्तेदार इस समय दस हजार कि.मी. दूर साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। ज़्यूरिख युनिवर्सिटी के जीवाश्म विभाग के निदेशक मारसैलो आर. सैन्चेज़ विसाग्रा ने कहा कि, यह खोज बहुत रोचक है। इस तरह की डॉल्फिन की खोज पहली बार हुई है। बेनीते ने कहा कि, डॉल्फिन का यह जीवाश्म अपने आकार की वजह से महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही इस वजह से भी खास है क्योंकि, इसका इस समय एमेज़ॉन नदी में मिलने वाली डॉल्फिन्स से कोई सम्बंध नहीं है। जीवाश्म के वर्तमान जीवित रिश्तेदार, जो गंगा और सिंधु नदी में पाए जाते हैं, सहित सभी रिवर डॉल्फिन विलुप्ति के खतरे से जूझ रही हैं।

एक जून तक के लिये केजरीवाल जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा

उनकी रिहाई से मीडिया व राजनीतिक नेता अचंभित, क्योंकि, अधिकतर चर्चा यह थी कि, केजरीवाल को किसी हालत में जमानत नहीं मिलेगी

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुश्किलें और बढ़ गईं हैं।

शुक्रवार शाम उन्हें तिहाड़ जेल से छोड़ दिया गया। कार्यकर्ताओं की भीड़ ढोल और गाजे- बाजे के साथ उन्हें घर ले गई।

केजरीवाल को एक जून तक के लिए जमानत मिली है। इससे सत्तारुढ भाजपा और मीडिया को भारी झटका लगा है क्योंकि चर्चा यही थी कि केजरीवाल को किसी भी सूरत में जमानत नहीं मिल सकती। पर केजरीवाल ने हर मुश्किल का सामना किया, अब वे दिल्ली, पंजाब यहां तक कि उत्तरप्रदेश में भी मोदी का मुकाबला करने को तैयार हैं। उम्मीद है कि वे इन राज्यों में गहन चुनाव प्रचार करेंगे।

- **यह सच है कि, जब से मु.मंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तथा उन्हें तिहाड़ जेल में कैद रखा गया था, उनके प्रति दिन पर दिन सहानुभूति पैदा हो रही थी जनमानस में।**
- **अब दिल्ली की सात संसदीय सीटों पर तीव्र संघर्ष होगा, क्योंकि चर्चा है कि, केजरीवाल अब धुंआधार चुनाव अभियान चलायेंगे दिल्ली में।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को इस शर्त पर रिहा किया है कि, वे ना तो अपने दफ्तर जायेंगे, ना ही मु.मंत्री कार्यालय जायेंगे और ना ही किसी ऑफिशियल फाइल पर दस्तखत करेंगे। पर, वे चुनाव प्रचार के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है।**

जब से केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है तब से उनके लिए जमीनी स्तर पर बेहद गरीब वर्गों में सहानुभूति बढ़ रही है।

वे सवाल कर रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को क्यों गिरफ्तार किया गया है? वे कहते हैं केजरीवाल ने गरीबों को बहुत ज्यादा राहत दी है इसीलिए वे मोदी की आंखों में चुभ रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि उनकी रिहाई के बाद भाजपा दिल्ली की सातों सीटों पर मुश्किल में आ गई है, क्योंकि अब केजरीवाल इन सीटों पर भारी प्रचार करेंगे।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। आप 4 सीटों पर कांग्रेस 3 सीटों पर मैदान में है।

आशंकाएं थी कि दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे की पार्टियों के लिए काम नहीं करेंगे। पर सभी कार्यकर्ता और नेताओं का मत है कि अभी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाजपा को हराना, आपसी मतभेद तो बाद में भी हल किए जा सकते हैं।

केजरीवाल से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वे ना तो अपने ऑफिस जा सकते हैं ना ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें देशभर में भाजपा के खिलाफ प्रचार से नहीं रोका है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने केजरीवाल की रिहाई पर बधाई दी और कहा कि इससे विपक्ष की ताकत बढ़ी और भाजपा कमज़ोर पड़ी है।

हेमंत सोरेन के समर्थक अति उत्साहित है, केजरीवाल की रिहाई ने राह दिखा दी है, झारखण्ड के मु.मंत्री की भी रिहाई की

हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना, जो पार्टी की नेता भी हो गयी हैं, ने कहा, ''हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, हमें शीघ्र ही शुभ समाचार मिलेगा कोर्ट से''

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मई। ''इण्डिया ब्लॉक'' और ''आप'' पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने पर उत्साहित हैं क्योंकि यह अब विपक्ष के चल रहे चुनाव प्रचार में नया जोश भर देगा, लेकिन इस घटनाक्रम ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जे.एम.एम.) के सदस्यों में बड़ी आशाएं जगा दी हैं। शीर्ष न्यायालय ने केजरीवाल को सशर्त जमानत देने के बाद जे.एम.एम. के नेता खुश हैं क्योंकि इस आदेश से एक नज़ीर बन गई है जिसके आधार पर हेमंत सोरेन के जेल से छूटने के प्रयास किए जा सकते हैं। हेमंत सोरेन भी एक आन्य विपक्षी मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल में हैं।

- **कल्पना सोरेन ने इन तर्कों को खारिज कर दिया कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गलत परम्परा पड़ी है कि, राजनीतिज्ञ (नेता लोग) एक अलग व सोशल क्लास हैं।**
- **कल्पना सोरेन के अनुसार, चुनाव प्रचार में भाग लेना और अपनी पार्टी के लिये प्रचार करके वोट मांगना संवैधानिक अधिकार है तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सभी चुनाव लड़ने वालों के लिये, ''लैवल प्लेईंग फील्ड'' स्थापित हुई है।**

हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना जो हाल ही में जे.एम.एम. में सक्रिय पद पर आई हैं, ने कहा, हम आशावान ही नहीं बल्कि हमें पक्का यकीन है कि, ''बहुत जल्दी हमको न्यायालय से खुशखबरी मिलेगी।'' उन्होंने आगे कहा, ''केजरीवाल के केस का फैसला निश्चित रूप से हमारे लिए ऊर्जादायक है। इससे हम सबको, हर जे.एम.एम. पार्टी कार्यकर्ता को और ''इण्डिया'' गठबंधन को उम्मीद बंधी है। हमको खुशी है कि केजरीवाल बाहर आ गये हैं और हेमंत सोरेन के लिए भी हम यही आशा करते हैं।

कल्पना ने इन दलीलों को नकार दिया कि उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिज्ञों को आम आदमी से अलग मानते हुए एक गलत उदाहरण पेश किया है और कहा कि आदेश संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार था। जे.एम.एम. नेता कल्पना ने आगे कहा, ''आम चुनाव पांच साल में एक बार ही आते हैं। राजनीतिज्ञ होने के नाते प्रचार करना, जनादेश मांगना और चुनाव लड़ना हमारा हक है। आज के समय में, सभी को अवसर मिलने चाहिए ताकि संविधान को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे अनर्गल आरोप न लगाएं'

नई दिल्ली, 10 मई। चुनाव आयोग ने मौजूदा लोकसभा चुनाव में मतदान के आंकड़ों में विसंगति के बारे में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के छह मई के पत्र में उठाए गए सवालों को आक्षेप और आरोप बताते हुए को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

आयोग ने खड़गे को भेजे गए विस्तृत जवाब में यह भी कहा है कि, उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी उस पत्र में संबंधित मुद्दे पर सवाल पूछने की आड़ में एक वक्तव्य दिया जो सार्वजनिक तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में असत्य है।

- **चुनाव आयोग ने मतदान आंकड़ों में विसंगति के आरोप के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लिखी गई चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा।**

खड़गे ने छह तारीख को आयोग को लिखे पत्र में छह सवाल उठाए थे और उस पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर डाल दिया था। आयोग ने कहा है कि, पत्र में लिखा है कि ''इतिहास में पहली बार मतदान के अंतिम प्रतिशत आंकड़े जारी करने में देरी की गयी है और उसमें मीडिया की विभिन्न खबरों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शराब के ठेके चलाने की अवधि जबरन बढ़ाने का आदेश रद्द

हाईकोर्ट ने लगभग 500 लाइसेंस धारकों को राहत देते हुए राज्य सरकार के आदेश को रद्द किया है

जयपुर, 10 मई (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 13 मार्च 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसके तहत शराब के ठेकों के लाइसेंस धारकों को 30 जून 2024 तक शराब की दुकानें संचालन करने के आदेश दिये गये। गौरतलब है कि प्रदेश में करीब 7000 शराब ठेकों के लाइसेंस धारकों में से 4000 ने जनवरी-फरवरी, 2024, में आयोजित शराब के ठेकों के लाइसेंस की नीलामी में भाग नहीं लिया था। परंतु राज्य सरकार ने सभी भाग ना लेने वाले पुराने लाइसेंसधारकों की लाइसेंस अवधि का समय एकतरफा कार्रवाई करते हुए तीन माह और बढ़ा दिया था, जिसके खिलाफ कृष्णा शर्मा व 275 अन्य याचिकाकर्ताओं ने जयपुर स्थित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहीं करीब 200 अन्य लाइसेंस धारकों ने जोधपुर में याचिका दायर की थी। आज जयपुर में सुनवाई के बाद जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ के इस आदेश से इन करीब 500 लाइसेंसधारकों को राहत मिली है। इस

- **राज्य सरकार ने नई लिकर पॉलिसी के तहत जनवरी-फरवरी में 7000 शराब ठेकों के लाइसेंस के लिये निविदा आमंत्रित की थी लेकिन करीब 4000 पुराने लाईसेंस धारकों ने इसमें भाग नहीं लिया। उनका कहना है कि, उन्हें नई नीति से तय दर पर राजस्व देने में घाटा हो रहा है।**
- **इन 4000 लाइसेंस धारकों में से करीब 500 ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि, राज्य सरकार उनके लाइसेंस की अवधि बढ़ाकर उन्हें घाटे पर कार्य करने पर विवश नहीं कर सकती। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि, राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा राशि लौटाने से मना कर दिया, जब तक कि बढ़ाई गई अवधि का समय समाप्त नहीं हो जाता।**
- **हालांकि, अदालत को यह नहीं बताया गया है कि, लाइसेंस धारकों को नई पॉलिसी के तहत घाटा क्यों हो रहा है, जबकि नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी में कोई खास परिवर्तन नहीं है।**

मामले में लाइसेंसधारकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.बी.माथुर और उनके सहायक अधिवक्ता पलक माथुर पेश हुए थे और अदालत में इस मामले को अधिवक्ता अचिंत्य कौशिक ने दायर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'चुनाव प्रचार में भाग लेना न तो ''फंडामैंटल राईट'' है, न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार'

ई.डी. के वकील व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की यह दलील सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मई। सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों पर दृढ़ रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को आज 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया। उन्हें अंतरिम जमानत देने से पूर्व एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) ने भारी आपत्तियाँ जतायीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति प्रदान की। केजरीवाल दिल्ली के आबकारी घोटाले से संबंधित एक मनी लॉण्ड्रिंग केस को लेकर गिरफ्तार किए गए थे।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की एक बैंच ने कहा कि ''हम 1 जून तक अंतरिम जमानत प्रदान करने के लिए एक अंतरिम आदेश जारी कर रहे हैं।

इसी बैंच ने गत 7 मई को यह स्पष्ट संकेत दिया था कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए केजरीवाल को एक सीमित अवधि के लिए रिहा किया जा सकता है।

केजरीवाल की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बैंच से अनुरोध किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को कुछ और दिन बाहर रहने दिया जाए क्योंकि वोटों की गिनती 4 जून को होगी, तथापि बैंच ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया।

सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ''ऐसा कोई पूर्व उदाहरण मौजूद नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति को चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया गया हो।''

इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि ''हमें यह किसी धारणा से नहीं जोड़ना है। हम आदेश पारित कर रहे हैं।''

- **सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मु.मंत्री को 21 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किया।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई का आदेश देते हुए यह भी कहा कि, केजरीवाल बार-बार सम्मन मिलने के बाद भी, न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए तथा उनके खिलाफ एक गंभीर मुकदमा चल रहा है, पर, उन्हें अभी दोषी करार नहीं किया गया है, और वो आदतन अपराधी नहीं हैं, और न ही समाज को उनसे कोई खतरा है, अतः उन्हें अंतरिम जमानत पर 21 दिन के लिये रिहा किया जाता है।**

एडीशनल सॉलीसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ''केजरीवाल इस केस के बारे में कुछ नहीं कह सकते है,'' तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि ''संजय सिंह के प्रकरण की भांति उतने ही मजबूत बयान से आप उन्हें जवाब दे सकते हैं।

गत 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा गत 9 अप्रेल को दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को जायज़ माना था। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने केजरीवाल को 20 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के आदेश दिए थे।

आम आदमी पार्टी (आप) के सीनियर नेता संजय सिंह को भी आबकारी नीति घोटाले से संबंधित केस में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने गत 2 अप्रेल को उनकी जमानत मंजूर कर ली थी।

संजय सिंह के केस में ई.डी. ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्हें जमानत पर रिहा करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, ई.डी. ने यह भी स्पष्ट किया था कि सिंह को दी गई न्यायिक छूट को एक नज़ीर ना माना जाए।

''आप'' के दो अन्य सीनियर नेता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन, मनी लॉण्ड्रिंग के दो अलग-अलग केसों में अभी जेल में ही बंद हैं।

10 मई की अहम सुनवाई से ठीक पहले ई.डी. ने एक ताजा शपथ पत्र प्रस्तुत कर इस पर जोर दिया था कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'भारत को परमाणु शक्ति सम्पन्न पाकिस्तान से डरना चाहिए'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मई। कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद मणि शंकर अय्यर के द्वारा पाकिस्तान पर की गई टिप्पणी से अधिकृत रुप से स्वयं को अलग कर लिया है, परंतु भाजपा के केन्द्रीय मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस का यह एक पैटर्न बन गया है कि उसके नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से खुद को अलग कर लेती है

- **कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद मणिशंकर अय्यर के इस बयान से हालांकि दूरी बना ली है, पर भाजपा इस बयान के आधार पर कांग्रेस को निशाना बना रही है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल को सशर्त जमानत

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मई। न्यायाधीश संजीव खन्ना व दीपांकर दत्ता की सुप्रीम कोर्ट बैंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा कि वे शराब नीति घोटाला के बारे में कुछ भी नहीं बोलेंगे यही बात कोर्ट ने इसी मामले से संबंधित पिछले माह आप पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत देते समय कही थी। यही शर्त उन पर भी लगाई थी।

- **दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक जून तक के लिए 5 शर्तों पर जमानत दी है।**

उन्हें वर्तमान लोकसभा चुनावों के दौरान केवल आप पार्टी का प्रचार करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

केजरीवाल को इस जमानत अवधि में मुख्य मंत्री के बतौर कोई भी अधिकारिक कार्य करने की इजाजत नहीं दी गई है और वो इस अवधि के दौरान उनके दिल्ली सचिवालय स्थित

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)